


21.03-24 पत्रावली पेश। वकील प्राथमिक
प्राथमिक स्वयं उपस्थित नहीं। बार-बार
आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं
आए। अतः प्राथमिक यह प्राथमिक
पत्र अदम पैरवी - अदम दाजिरी
में इसी स्तर पर खारिज किया जाता
है। पत्रावली बाद तरीक तमभील
दोकर प्रारिक्त इफ्लार है।

निर्णय लिखाया फकर खुले
न्यायालय में सुनया गया।


(मन्नेल कुमल भीष्य)
R.A.S.

